Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2025
(भाद्रपद 26, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 73/के०अ०16/1927/धा० 4/2025, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 हरियाणा सरकार, वन तथा वन्य प्राणी विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०46/के०अ०16/1927/ धा०4/2020, दिनांक 13 अगस्त, 2020 को विखंडित करने बारे।	–3107–3108
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 74/के०अ०16/1927/धा० 4/2025, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 हरियाणा सरकार, वन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०149/के०अ०16/27/धा०4/87, दिनांक 18 दिसम्बर, 1987 में संशोधन करने बारे।	–3109–3110
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितम्बर, 2025

संख्या का०आ० 73/के०अ० 16/1927/धा० 4/2025.– भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, वन तथा वन्यप्राणी विभाग, अधिसूचना संख्या, का0आ0 46/ के0अ0 16/1927/धा0 4/2020, दिनांक 13 अगस्त, 2020 को विखंडित करते हैं।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. S.O. 73/C.A. 16/1927/S. 4/2025.— In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) and section 4 of the Indian Forest Act, 1927, (Central Act 16 of 1927), the Governor of Haryana hereby rescind Forest and Wildlife Department notification No. S.O. 46/C.A.16/1927/S.4/2020, dated the 13th August, 2020.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.

12113—L.R.—H.G.P., Pkl.